

026192602201912354608830
जारखण्ड JHARKHAND

दिनांक वर्षीय अवधि लगा छायाचित्र
 ३०८ १५८५ ४५३ ३ अगस्त ४६ शे
 ३०९ १५८५ ४५४ लिप्तिर ४५७ शे
 ३१० १५८५ ४५५ के अंदर

ट्रिफिक ला. न-15, 2003
मेहिनीनगर (पल्लामु)

~~27/19~~ 02/03/19
C 2-5
~~100%~~

1. लेख्यकारी का नाम एवं पूरा पता:

पूर्णिमा महथा पति स्व0 सचिदानन्द प्रसाद सिन्हा जाति
कायस्थ, स्थायी निवास ग्राम जेलहाटा गंगा स्टोर के पास,
पो0 एवं थाना मेदिनीनगर, वर्तमान पता:-निवास
स्थान-ग्राम एवं डाकघर-चैनपुर थाना-चैनपुर, जिला-पलामू
, राज्य-झारखण्ड, पेशा-खेतीएवं गृहणी, नागरीकता-भारतीय।
आधार नं0 337914571052. पैन नं0 AFBPM089511 मो0 नं0
9039898316

For more details www.malayaccessories.com

01 AAT 387847

02.02.2019 26.02.2019
11.02.2019 12.02.2019 13.02.2019
14.02.2019 15.02.2019 16.02.2019

9/26/02 / 19

235/2019



Roxanna Martin

26.02.2019

सिविल ला. स-15, 2003

सेंट नीनगर (पलाम)

मैट्रिनगर (पलाम)



०१३१९ नं क्रम
परिवार संख्या ४८०१/
ग्राम नं. अनुदेश नं. ५१६७
दोलीपुर
जाति लोटी
नेवजन परिवार
परिवार संख्या ४८०१/
नेवजन परिवार

-2-

2. लेख्यधारी का नाम एवं पूरा पता:-

श्रीमति पुष्पा देवी पति श्री रामप्रवेश राम कायम
जाति—अनुसुचित जाति(चमार), निवास स्थान ग्राम छपरदागा
डाकघर—भिखही, थाना—डंडा, जिला—गढ़वा, पेशा—गृहणी
राज्य—झारखण्ड —नागरीकता —भारतीय। आधार नं०
712145208481, मो नं० 9934241731

3. लेख्यप्रकार—केवाला वयला कलामी(निर्विवाद
विक्रय पत्र)

4. (क) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य— मो०
2,40,500 / रु० (दो लाख चालिस हजार
पाँच सौ रुपया) मात्र।

(ख) देय मूल्य — मो० 4,95,000 / रु० (चार लाख
पन्चानन्दे हजार रुपया) मात्र।

आवासीय दर—मो० 80100 रुपये प्रति डी०

5. सम्पत्ति—मवाजी 03 डी० (तीन डी०) डी० जमीन परती
टॉड खाली जमीन वास्ते गृह निर्माण के लिए भूखण्ड भूमि
अन्दर वाके मौजा गुरहा, थाना चैनपुर, जिला पलामू में
हकियत कास्त रेयती मौरुषी सौहरी हक हासिल है।
जिसपर कायम एवं काबिज दाखिल चली आ रही है। डिमांड
विक्रेता के नाम से पेज नं० 108/2 में चल रहा है तथा
ऑनलाईन में वर्तमान भाग दो पृष्ठ सं० 93 अंकित है।

Bhimrao Marhata
26/02/2019 तात्पुर

26.02.2019

लेख्यप्रकार विक्रय
लेख्यप्रकार विक्रय
26/02/2019

यह जमीन सी०एन०टी एकट से मुक्त है। तथा किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं है। जमीन बिक्री के प्रमाण में नक्शा की एक प्रति इस दस्तावेज के साथ संलग्न है। जिसमें जमीन बिक्री को लाल रंग से दिखलाया गया है। जो इस दस्तावेज का अविभाज्य अंग वो अंश है। पार्ट प्लौट पार्ट होल्डिंग जमीन अपने हिस्से का बिक्री करती है। सब रजिस्ट्री वो जिला रजिस्ट्री ऑफिस मेदिनीनगर जिला पलामू।

बिक्रय भुमि का विवरण:

थाना न०	तौजी न०	खेवट न०	हल्का न०	मौजा
114	51	01	आवासीय	गुरहा
खाता न०	प्लौट न०	रकबा	वर्तमान चौहदी	
07(सात)	151 / 220 (एक सौ एकवान बट्टा दो सौ बीस) में	03 डी०	उत्तर— खुशबू कुमारी हाल क्रेता दक्षिण— बिक्रेता नीज पूरब— 10 फिट चौड़ा रास्ता पुर्व से पश्चिम—प्लौट न० 152 का अंश	

1 1 03 डी० तीन डी० जमीन बिक्री करते हैं।

जमीन का पैमाईस:-

उत्तर तरफ पुरब से पश्चिम 35.6 फीट

दक्षिण तरफ पुरब से पश्चिम 29.3 फीट

पूरब तरफ उत्तर से दक्षिण 40.6 फीट

पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण 40.6 फीट

26.02.2019

प्राप्ति दस्तावेज अधिकारी

26.2.19

वार्षिक लगान— अनुमानित मोबलिंग 3.00/- तीन रुपये
अलावे शेष।

नाम मालिक—झारखण्ड सरकार बजरीय अंचल
पदाधिकारी, चैनपुर, जिला पलामू

विदित हो कि लेख्यकारी की जमीन अंदर बांके मौजा
गुरहा थाना चैनपुर जिला पलामू में हकियत रैयती मौरुणी
सौहरी हक हासिल है। जो आपसी बंटवारा से बंटकर बिक्रेता
को मिला है जिसपर काबिज दाखिल चली आ रही है।

यह जायदायद पूर्व सर्वे खतियान में पूर्वज स्व० गनौरी
लाल के नाम से खतियान दर्ज है। बिक्रेता इन्हीं के वंशज में
बहु है जिसे अपने सौहर स्व० सचिदानन्द प्रसाद सिन्हा कि
मृत्यु के पछात अपने गोतिया में हिस्सेदारों से बंटकर अकेला
हिस्सा में प्राप्त है जिसका संकेत बंटवारा नक्शा में सी० हिस्से
की जमीन को हरा रंग से दिखलाया गया है जिसे आपसी
बंटवारा में खाता नं० 7 प्लौट नं० 151 को 151/सी रकबा
99 डी० और प्लौट नं० 220 का 220/सी रकबा 32 डी०
कुल रकबा 1-31 डी० एक एकड़ एकतीस डी० जमीन प्राप्त
है। जबकि खाता नं० 7 में प्लौट नं० 151 का पूरा रकबा
2-97 डी० प्लौट नं० 200 का पूरा रकबा 96 डी० दर्ज है।
जो कुल रकबा तीन एकड़ तीरानबे डी० का एक बट्टा तीसरा
हिस्सा बिक्रेता की हिस्से की है। जिसका मांग पंजी दो में
डिमाण्ड अंचल पदाधिकारी चैनपुर द्वारा प्लौट नं० 151/सी
और प्लौट नं० 151/200 दर्ज कर डिमाण्ड खोला गया है।
तथा इसी तरह राजस्य रसीद भी बिक्रेता प्राप्त करते आ रहे
है। बंटवारा तीन खण्डों में ए, बी, सी, करके किया गया है।
जिसका याददास्त बंटवारा 25.05.1996 ई० है। बंटवारा नक्शा
में खण्ड ए लाल रंग अशोक कुमार सिन्हा खण्ड बी नारंगी
रंग केदार लाल खण्ड सी रंग हरा पुर्णिमा महथा को
दिखलाया गया है। जिस पर सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर
किया हुआ है।

26.05.1996
मालिक

झारखण्ड सरकार
बजरीय अंचल
पदाधिकारी

चुंकि इस वक्त लेख्यकारी को रूपर्यों का सख्त जरूरी वास्ते बनाने पक्का का मकान आवासीये का है। जिसमें अधिक रूपर्यों की आवश्यकता है, जो बिना बिक्री किये उपरोक्त वर्णित भूमि के रूपर्यों का खास अपना जेब या अन्य जरीया द्वारा प्रबन्ध कर पाना नामूमकीन है।

लिहाजा लेख्यकारी ने उपरोक्त वर्णित भूमि को बिक्री के लिए प्रचार वो प्रसार किया तो खाना नं० 2 दो वसिका हाजा की क्रेता भवन निर्माण कर रहने के लिए सभी तरह से सुविधाओं को देखते हुए निरीक्षण करने के श्वात पसन्द कर दोनों पक्षों में खरीद बिक्री का मूल्य मोबलिंग 4,95,000 / रु० (चार लाख पनचानबे हजार रूपर्ये) में तय पाया और इसी मूल्य पर खरीद बिक्री का मामला तय भी हो चुका जो वाजीब और अधिकतम मूल्य होता है और न दीगर ही सख्स इससे अधिक मूल्य दे सकता है।

इसलिए खाना सं० पांच की वर्णित भूमि को उचित और अधिकतम मूल्य देखते हुए बिक्री किया एवं केवाली बिक्रय पत्र लिखा तथा सभी तरह के कुल अधिकार जो कुछ था या आइन्डे होता सो सब समेत आज से ही क्रेता तथा इनके वारीसान को ज्यों का त्यों हस्तान्तरित किया। अब इसमें किसी प्रकार का कोई उजुर दावी बिक्रेता या इनके किसी भी अपना या अन्य वारीसान को नहीं है न आइन्डे रहा। अगर भविष्य में होगा भी तो इस बिक्रय पत्र दस्तावेज के सामने सरासर नाज्याज और गैलत साबित होगा।

अब क्रेता को चाहिए कि उपरोक्त सम्पत्ति पर खुदमध्य वारीसान काबिज दाखिल रहकर जिस कदर हो मकान निर्माण करें रख्यं रहे या किसाये पर लगावे या कूप इनारा तालाब बनावें या बाग बागीचा लगावें याने जैसे भी हो जिस कदर हो

ग्रामीण बृहत्ता नामूमकीन
ल० धूली २०१९

२६.०२.२०१९

लाभ उठावें, उपयोग व उपभोग करें। साथ-साथ इस दस्तावेज को अंचल कार्यालय चैनपुर द्वारा अपने नाम का दाखिल खारीज करा लें वो भी वार्षिक लगान साल व साल अदाय कर आपने नाम रो राजरव रशीद प्राप्त कर लिया करें। रूपया मुल्य का बिक्रेता क्रेता से जमीन रजिस्ट्री के पूर्व ही कई किस्तों में वसुल पा चुके। अब बाबत मुल्य का कुछ भी पाना बाकी जिम्मे क्रेता के पास नहीं है ना भविष्य में रहा।

बिक्रेता ने क्रेता को यह यकीन और विश्वास दिलाया है कि खाना सं० पांच की वर्णित भूमि बिल्कुल पाक वो साफ विवाद रहित है, इस पर किसी प्रकार का कोई ऋण भार सरकारी या गैर सरकारी नहीं है और न इसे बन्धक गिरवी या अन्य कोई मामला लिखित या मौखिक किसी अन्य व्यक्ति या अन्य कोई संस्था के साथ क्रेता के अलावे नहीं किया है। अगर किसी प्रकार का कोई नुस्खा दखल-कब्जा या संवैधानिक अधिकार में त्रुटि पायी जाती है तो उसकी भरपाई करने का वो भी क्रेता को क्षति की पूर्णतः पूर्ति करने की जिम्मेवारी बिक्रेता स्वयं अपने उपर लेती है।

इसलिए बिक्रेता अपना सभी तरह के नफा वो नुकसान को अच्छी तरह से सोच समझ वो बुझकर वखुशी राजी अपनी मन तथा शरीर की स्वच्छता एवं स्वस्थ्यता से बिना किसी दीगर सख्त के डराने -धमकाने वो फुसलाने वो भी बिना दिये दबाव के अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए लेख्यधारी का केवाला बिक्र्य पत्र लिख दिया कि वर्षत पर काम आवे वो भविष्य में जमीन हस्तान्तरण का स्थायी प्रमाण रहे।

Bhawna mukhiya
26.02.2019

७०१७